स्वच्छता हेतु वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त ने ली बैठक

प्रसारण 27-2-21

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेकर स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त झारिया ने वार्ड वार नियुक्त 23 पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ-सफाई, विशेष रूप से सड़कों, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवाना, सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवाना, सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवाना, वार्डों में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना; कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनिटरिंग करना, कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना, पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाना, वार्डों में आईईसी गतिविधियां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस ट्रेकिंग करवाना, थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना, नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग किए जाने हेतु प्रेरित किए जाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सायं 6 बजे प्रस्तुत करेंगे।

स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का एक व्हाट्स एप ग्रुप तैयार करने के निर्देश बैठक में दिए। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया वे अपने-अपने वार्डों में 6-6 वेस्ट पाईंट चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि पर्यवेक्षण कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को वार्ड के दरोगा व सफाई संरक्षकों की नाम व मोबाईल नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराएं जाने के साथ ही वार्ड की चतुर्सीमा भी उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में सहायक आयुक्त ज्योति सुनारिया, सहायक यंत्री श्याम सोनी, एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, निगम सचिव जसवंत जोशी सहित उपयंत्री व नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका–––पृष्ठ 09... दिनांक 27/02/2021

कंपनी की लापरवाही से लक्ष्मणपुरा-पीएंडटी कॉलोनी में चार दिन से पानी को लेकर परेशानी

सीवरेज के काम ने फोड़ दी पेयजल लाइन

पत्रिका सिटी हैपनिंग

क्षेत्रवासी निगम के चक्कर काट रहे है, अधिकारी सीवरेज कंपनी के साथ अपने रिश्ते निभा रहे है

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. अब तक शहरवासी सीवरेज काम के दौरान सड़कों की बेतरतीब खुदाई से परेशान थे, लेकिन शहर के लक्ष्मणपुरा-पीएंडटी कॉलोनी में तो पेयजल पाइप लाइन को ही खोद दिया गया। पिछले चार दिन से मोहल्ले में करीब एक दर्जन आवास में पेयजल को लेकर परेशानी है। क्षेत्रवासी नगर निगम के चक्कर काट रहे है, लेकिन अधिकारी सीवरेज कंपनी के साथ अपने रिश्ते निभा रहे है।

घरेलु कनेक्शन की इन पेयजल पाइप लाइन के टूटने पर इसके सुधार की जवाबदेही सीवरेज काम करने वाली कंपनी की है, लेकिन इसको निगम के अधिकारी दोस्ती निभाते हुए नगर निगम के व्यय से जुड़वा रहे है। अब स्थिति यह है कि लक्ष्मणपुरा -पीएंडटी कॉलोनी में पानी को लेकर कुछ गलियों में पिछले चार दिन से किल्लत हो रही है।

शहर में सीवरेज लाइन के काम के चलते पीएंडटी कॉलोनी मैन रोड पर सीवरेज के लिए खुदाई चल रही है। जिसके कारण सड़क के बीचों बीच से पेयजल की मैन पाइप लाइन जा रही है। जेसीबी से रोड की खुदाई करने पर मैन पाइप लाइन लिकेज होने के कारण क्षेत्रवासी करीब 4 दिन से पेयजल समस्या से ग्रसित हैं। जब रहवासी नगर निगम पहुंचे तो बताया गया कि लिकेज पाइप लाइन को सीवरेज के ठेकेदार ही रिपेयर करेंगे। ठेकेदार से बात करने पर ठेकेदार का कहना था, इस कार्य को नगर निगम ही करेगी। ऐसे में रहवासियों को अपनी जेब से व्यय करके इस अव्यवस्था में सुधार कार्य करवाना पड़ रहा है। क्षेत्र के हरीसिंह गौड़, रामचंद्र पहलवान, राधेश्याम, नरेंद्र चौहान आदि ने बताया कि मुख्य लाइन के क्षतिग्रस्त होने से पानी की परेशानी बढ़ गई है। शिकायत करने पर जिम्मेदार एक-दूसरे की गलती बता रहे हैं।

सीधी बात

निगम पेयजल प्रभारी एसपी आचार्य

पत्रिका- सीवरेज के काम के दौरान लाइन टूटने पर सुधार की जिम्मेदारी किसकी है।

- आचार्य - जो काम कर रहे है, उनकी ही जवाबदारी है। सूचना मिलती है तो हम भी कंपनी को बता देते है।

पत्रिका - लक्ष्मणपुरा-पीएंडटी कॉलोनी में चार दिन से पाइप लाइन में टूट है व आमजन पेयजल के लिए परेशान हो रहे है।

आचार्य - इस मामले में जानकारी नहीं है। ऐसा है तो तुरंत सुधार कार्य करवा दिया जाएगा।

पत्रिका - पर जिम्मेदारी निगम की नहीं है तो कंपनी से सुधार क्यों नहीं करवा पा रहे।

आचार्य - पेयजल जरुरत है। अगर कंपनी समय पर नहीं देखें तो हम आमजन को परेशान नहीं होने देंगे।

सीवरेज प्रोजेक्ट मैनेजर वैभव शर्मा

पत्रिका - लक्ष्मणपुरा-पीएंडटी कॉलोनी में चार दिन से पेयजल लाइन टूटी है, कब सुधरेगी।

शर्मा - जैसे जैसे काम चलता जा रहा है, सुधार हो रहा है। पाइप मुड़ गए है। जेसीबी से क्षतिग्रस्त हुए है। इसलिए समय लग रहा है।

पत्रिका - चार दिन से आमजन पानी के लिए परेशान है।

शर्मा - यह जानकारी है कि लक्ष्मणपुरा-पीएंडटी कॉलोनी में पानी को लेकर परेशानी हो रही है, लेकिन कार्य होने मे समय लगता है।

पत्रिका - लेकिन निगम के साथ अनुबंध अनुसार जिस दिन टूटी उसी दिन सुधार होना चाहिए।

शर्मा - हमारा प्रयास रहता है जहां टूट हो, वहां सुधार तुरंत हो, कभी कभी समय लगता है। लक्ष्मणपुरा-पीएंडटी कॉलोनी में सुधार कार्य शुरू हो गया है।

पत्रिका 27-2-21

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को लाइव देखा व सुना गया

रतलाम में दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ हुआ

राज एक्सप्रेस 27/2/21

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश के साथ रतलाम मुख्यालय पर भी शुक्रवार को तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ किया गया। रतलाम में सिविक सेंटर, अंबेडकर भवन तथा त्रिपोलिया गेट पर दीनदयाल रसोई आरंभ की गई है जहां निर्धन व्यक्तियों को 10 रूपए में भरपेट भोजन थाली की सुविधा मिलेगी।

रतलाम में सिविक सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, मनोहर पोरवाल, निर्मल कटारिया, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास, जी.के.जायसवाल, श्याम सोनी, राजेश परमार, नितिन तिवारी, ए.पी. सिंह, कपिल मारोठिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम पश्चात दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ करते हुए निर्धन व्यक्तियों को भोजन परोसा गया। वर्तमान में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राष्ट्रीय अवकाश, होली तथा रविवार छोड़कर प्रतिदिन 10 रूपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कढ़ी मिलेगी।

रतलाम में तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ हुआ

27/2/21

रतलाम । प्रदेश के साथ रतलाम मुख्यालय पर भी शुक्रवार को तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ किया गया।

रतलाम में सिविक सेंटर, अंबेडकर भवन तथा त्रिपोलिया गेट पर दीनदयाल रसोई आरंभ की गई है जहां निर्धन व्यक्तियों को 10 रूपए में भरपेट भोजन थाली की सुविधा मिलेगी।

रतलाम में सिविक सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल, श्री मनोहर पोरवाल, श्री निर्मल कटारिया, श्रीमती ज्योति सुनारिया, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश व्यास, श्री जी.के. जयसवाल, श्री श्याम सोनी, श्री राजेश परमार, श्री नितिन तिवारी, श्री ए.पी. सिंह, श्री कपिल मारोठिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम पश्चात दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ करते हुए निर्धन व्यक्तियों को भोजन परोसा गया। वर्तमान में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक राष्ट्रीय अवकाश, होली तथा रविवार छोड़कर प्रतिदिन 10 रूपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कढ़ी मिलेगी।

राज एक्सप्रेस

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नईदुनिया–पृष्ठ 21.....दिनांक 27/02/2021

महापौर, अध्यक्ष, पार्षद चुनाव में खर्च पर रहेगी नजर

नगरीय निकाय चुनाव : निरीक्षण के लिए छाया प्रेक्षण पंजी रखेगा प्रशासन

नईदुनिया 27-2-21

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। महापौर, अध्यक्ष, पार्षद पद के अभ्यर्थियों के निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने और उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा के सूक्ष्म परीक्षण तथा निरीक्षण के लिए छाया प्रेक्षण पंजी रखी जाएगी।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी जमुना भिड़े ने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा पंजी व डिजाइन की गई है। जिसे चार खंडों में बांटा गया है। इसमें प्रोफार्मा क निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिदिन के लेखे के रखरखाव के लिए नकद रजिस्टर प्रोफार्मा ख में होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन प्रतिदिन के लेखे के रखरखाव के लिए बैंक रजिस्टर प्रोफार्मा ग में रहेगा तथा प्रोफार्मा घ शपथ पत्र रहेगा। उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समय-समय पर जो खर्च के विवरण अभ्यर्थी देगा, उसके मिलान छाया प्रेक्षण पंजी के आंकड़ों से किए जाएंगे। मिलान न होने या विसंगति दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर समाधान किया जाएगा।

निकाय चुनावों की अवधि सात से दस दिन रखी जाए : पूर्व महापौर व मध्य प्रदेश भाजपा नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के सदस्य शैलेंद्र डागा ने निर्वाचन आयोग से निकाय चुनाव की प्रक्रिया सात से दस दिन में संपन्न कराने की मांग की है। उनके अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को प्रचार के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है तो निकाय चुनाव में सात से दस दिन का समय देना उपयुक्त होगा। डागा ने बताया कि निर्वाचन आयोग अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही निकायों के चुनाव में भी 14 दिन पूर्व अधिसूचना जारी करता रहा है। इससे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने में काफी वक्त लगता है और आमजन को परेशानी उठाना पड़ती है। लोकसभा सीट का क्षेत्र 8-10 विधानसभा क्षेत्रों तक फैला रहता है और विधानसभा सीट का क्षेत्र भी शहर से लेकर ग्रामीण स्तर पर विस्तारित है, इसलिए इनके चुनाव में 14 दिन पर्याप्त है, लेकिन नगरीय निकायों में इतना विस्तारित क्षेत्र नहीं होता। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव सात से दस दिन में आसानी से पूरे कराए जा सकते हैं। इसमें प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिलेगा और उनका चुनाव खर्च भी बचेगा। चुनाव प्रचार के दौरान उपजने वाली समस्याओं से आम जनता भी राहत में रहेगी। डागा ने निकायों की सीमा को देखते हुए चुनाव अवधि कम करने से आम जनता और प्रत्याशियों के साथ-साथ प्रशासनिक तंत्र को भी राहत मिलने का विश्वास जताया है। उनके अनुसार निकाय चुनाव में क्षेत्रीयता होने से अधिक तनाव होता है, इसलिए अवधि कम करना पुलिस और प्रशासन के लिए भी आवश्यक है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार स्वदेश -----पृष्ठ 19 ... दिनांक 27/02/ ...2021

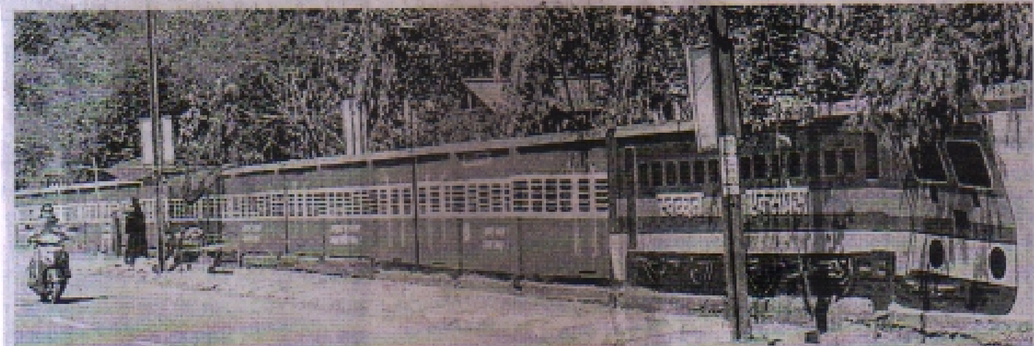

रतलाम। यह पटरी पर खड़ी ट्रेन नहीं... पावर हाउस रोड पर रेल्वे कालोनी की दीवार पर बनी स्वच्छता एक्सप्रेस की पेन्टिंग है जो राहगीरों की एकाएक निगाह पड़ने पर आश्चर्य चकित करती है। यह अहसास ही नहीं होता है कि यह पेन्टिंग है लोग असल ट्रेन ही समझते हैं।

स्वदेश 27/2/21

जिले की पंजीयन दरों में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित

रतलाम ● वर्ष 2021 बारिश की गाइड लाइन के संबंध में जिलास्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में बताया गया कि पंजीयन विभाग द्वारा जिले की वर्तमान पंजीयन दरों में 21.79 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है जिस पर एक सप्ताह में आम नागरिकों के सुझाव प्राप्त कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में 21.9 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21.68 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव आगामी गाइडलाइन हेतु किया गया है। इसमें जिले की कुल 56 शहरी तथा 46 ग्रामीण क्षेत्र की नवीन लोकेशन जोड़ना प्रस्तावित है। जिन कॉलोनियों में वर्तमान वर्ष भी गाइड लाइन की दरों से 2 से 3 गुने में रजिस्ट्री हुई है, उन कॉलोनियों में 50 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। रतलाम शहर, ताल, जावरा शहर की कुल 317 लोकेशन जो कि एकदम सघन आबादी वाले क्षेत्रों में कृषि भूमि नहीं होने से कृषि भूमि की दर हटा दी गई है। जनसामान्य 4 मार्च तक अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रस्ताव संबंधित उपपंजीयक कार्यालय में दिए जा सकते हैं। बैठक में बताया गया कि रतलाम शहर कि 46 कॉलोनियों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है इनमें से 11 कॉलोनियों में 35 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

पंजीयन दरों में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित

27-2-21

रतलाम ■ राज न्यूज़ नेटवर्क

बारिश की गाइड लाइन के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर गोपालचंद डाड की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में बताया गया कि पंजीयन विभाग द्वारा जिले की वर्तमान पंजीयन दरों में 21.79 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है जिस पर एक सप्ताह में आम नागरिकों के सुझाव प्राप्त कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में जिला पंजीयक प्रभात वाजपेयी, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी दीपेश गुप्ता, सहायक प्रबंधक उद्योग महेंद्र नागराज, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत महेश चौबे तथा जिले के समस्त उपपंजीयक उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में 21.9 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21.68 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव आगामी गाइडलाइन हेतु किया गया है। इसमें जिले की कुल 56 शहरी तथा 46 ग्रामीण क्षेत्र की नवीन लोकेशन जोड़ना प्रस्तावित है। जिन कालोनियों में वर्तमान वर्ष भी गाइड लाइन की दरों से 2 से 3 गुने में रजिस्ट्री हुई है, उन कालोनियों में 50 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–प्रसारण–––पृष्ठ 08....दिनांक 27/02/..2021

10 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन, 8 किलो पॉलीथीन जब्त की

- 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित
- उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड
- गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ्रूट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते है तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत मुस्तफा, आदित्य जैन, पवन पर 250-250, मनीश, शर्मा, गोपाल, संजय पर 100-100, रमेश, श्याम, आरिफ सैलाना बस स्टैण्ड पर 50-50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 8 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलवा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

प्रसारण 27-2-21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार अवन्तिका पृष्ठ 12 दिनांक 27/02/2021

रतलाम में तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का हुआ शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने किया लाइव उदबोधन

दैनिक अवंतिका ● रतलाम

प्रदेश के साथ रतलाम मुख्यालय पर भी शुक्रवार को तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ किया गया। रतलाम में सिविक सेंटर, अंबेडकर भवन तथा त्रिपोलिया गेट पर दीनदयाल रसोई आरंभ की गई है जहां निर्धन व्यक्तियों को 10 रूपए में भरपेट भोजन थाली की सुविधा मिलेगी।

रतलाम में सिविक सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, मनोहर पोरवाल, निर्मल कटारिया, श्रीमती ज्योति सुनारिया, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश व्यास, जी.के. जायसवाल, श्याम सोनी, राजेश परमार, नितिन तिवारी, ए.पी. सिंह, कपिल मारोठिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम पश्चात दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ करते हुए निर्धन व्यक्तियों को भोजन परोसा गया। वर्तमान में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राष्ट्रीय अवकाश, होली तथा रविवार छोड़कर प्रतिदिन 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कढ़ी मिलेगी।

सिविक सेंटर पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई में भोजन करने आए रतलाम के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बंटी तथा राजेश भी सम्मिलित थे। यह दोनों मजदूरी करते हैं, कभी मजदूरी मिल गई तो ठीक नहीं मिली तो दो समय के भोजन की चिंता रहती है परंतु दीनदयाल रसोई के शुभारंभ से बंटी तथा राजेश बहुत खुश थे। उन दोनों ने भोजन किया और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को धन्यवाद दिया। बंटी और राजेश के साथ और भी कई निर्धन व्यक्तियों ने भोजन लाभ प्राप्त किया। यह सभी तहेदिल से मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद दे रहे थे।

दै. अवन्तिका 27/2/21

स्वच्छता का शहर के विकास में बड़ा योगदान है

प्रसारण 27-2-21

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

मन, वाणी, कर्म, शरीर, हृदय, चित्त, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और विज्ञान तक में स्वच्छता का विशेष महत्व है। या कहें, बिना स्वच्छता के जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति, शहर और चेतना के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता प्रथम सोपान है। स्वच्छता विकास का बड़ा पैमाना है। इस कार्य में जब तक शहर के हर हाथ से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम हमारे शहर को स्वच्छता की दौड़ में देश में अव्वल नहीं ला पाएंगे। इसलिए स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में हर कोई बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी निभाए।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी.सिंह के निर्देशन में सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने गुरुवार को शहर के आधा दर्जन से अधिक कचरामुक्त स्थानों रांगोली का निर्माण कर क्षेत्रीय रहवासियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया है।

इस मौके पर समूह के सदस्यों ने नागरिकों को समझाया कि विकास का मतलब अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा वाहन और अच्छा घर ही माना जाता है।

विकास का मतलब स्वच्छता, कर्तव्यों का पालन और सहयोग की भावना नहीं स्वीकार किया गया। अच्छी सड़कें तो सभी चाहते हैं लेकिन उसकी साफ-सफाई का दायित्व कभी स्वयं पर नहीं डालना चाहते।

सड़कों पर गंदगी करना जैसे हमारा पुनीत कर्तव्य बन गया है। इसी तरह छोटे मार्गों, गलियों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य उपयोगी स्थानों को हम गंदा करके उसे साफ करना नहीं सीखा। यही कारण है कि शहरों में नई-नई बीमारियां रोजाना पैदा हो रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यदि शहर की सड़कें, छोटे मार्ग, गलियां, खेल के मैदान, पार्क, और अन्य सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बना दिया जाए तो होने वाली बीमारियां एक चौथाई से भी कम रह जाएंगी।

नगर निगम की सहयोगी संस्था सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने इस मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण की फीडबैक के पेम्पलेट और स्टीगर का वितरण कर नागरिकों से सफाई कार्य में सहयोग की अपील भी की गई। यहां बच्चों और महिलाओं की मौजूदगी भी रांगोली, निबंध और मेंहदी आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर इनके बेहतर प्रदर्शन पर मौके पर ही इन्हें प्रमाणपत्र व बालपेन आदि देकर सम्मानित भी किया गया।

शहर के आधा दर्जन से अधिक कचरामुक्त स्थानों रांगोली का निर्माण कर क्षेत्रीय रहवासियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली निर्माण कर विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित कराई गई

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

मन, वाणी, कर्म, शरीर, हृदय, चित्त, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और विज्ञान तक में स्वच्छता का विशेष महत्व है। या कहें, बिना स्वच्छता के जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति, शहर और चेतना के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता प्रथम सोपान है। स्वच्छता विकास का बड़ा पैमाना है। इस कार्य में जब तक शहर के हर हाथ से सहयोग नही मिलेगा तब तक हम हमारे शहर को स्वच्छता की दौड़ में देश में अव्वल नही ला पाएंगे। इसलिए स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में हर कोई बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी निभाए।

रांगोली बनाई गई

नगर निगम आयुक्त के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी.सिंह के निर्देशन में सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने गुरुवार को शहर के आधा दर्जन से अधिक कचरामुक्त स्थानों रांगोली का निर्माण कर क्षेत्रीय रहवासियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया है। इस मौके पर समूह के सदस्यों ने नागरिकों को समझाया कि विकास का मतलब अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा वाहन और अच्छा घर ही माना जाता है। विकास का मतलब स्वच्छता, कर्तव्यों का पालन और सहयोग की भावना नहीं स्वीकार किया गया। अच्छी सड़कें तो सभी चाहते हैं लेकिन उसकी साफ-सफाई का दायित्व कभी स्वयं पर नहीं डालना चाहते। सड़कों पर गंदगी करना जैसे हमारा पुनीत कर्तव्य बन गया है। इसी तरह छोटे मार्गों, गलियों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य उपयोगी स्थानों को हम गंदा करके उसे साफ करना नहीं सीखा।

यही कारण है कि शहरों में नई-नई बीमारियां रोजाना पैदा हो रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यदि शहर की सड़कें, छोटे मार्ग, गलियां, खेल के मैदान, पार्क, और अन्य सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बना दिया जाए तो होने वाली बीमारियां एक चौथाई से भी कम रह जाएंगी।

राज एक्सप्रेस 27-2-21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– प्रसारण –पृष्ठ 18 दिनांक 27/02/2021

सूचना के अधिकार कानून का पालन नहीं करने के मामले में निगमकर्मी पर 25 हजार रु. का अर्थदण्ड

प्रसारण 27-2-21

प्रसारण न्यूज • रतलाम

आमतौर पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सूचना के अधिकार कानून को महत्व नहीं देते और आए दिन इस कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन राज्य सूचना आयोग ऐसे मामलों में अब कड़े कदम उठाने लगा है। पूर्व में दो निगमकर्मियों पर पच्चीस हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाने के बाद राज्य सूचना आयोग ने फिर से एक निगमकर्मी पर पच्चीस हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया है।

आरटीआई एक्टिविस्ट नीतिराज सिंह ने 04 मई 2019 को नगर निगम के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन देकर तत्कालीन महापौर सुनीता यार्दे के पदग्रहण और उनके द्वारा बनाई गई मेयर इन कौंसिल के सम्बन्ध में जानकारियां मांगी थी। नीतिराज सिंह ने अपने आवेदन में यह भी पूछा था कि इस मेयर इन कौंसिल के प्रथम गठन के बाद से शहर विकास के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव रखे गए और उन पर क्या निर्णय किए गए?

उस समय रतलाम नगर निगम सहायक आयुक्त सुश्री रीता कैलाशिया लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत थी और तत्कालीन सहायक वर्ग तीन रवीन्द्र भट्ट लोक सूचना विभाग में सहायक के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में सुश्री कैलाशिया नगर परिषद टीकमगढ़ में पदस्थ है, जबकि रवीन्द्र भट्ट राजस्व विभाग में पदस्थ है। राज्य सूचना आयोग ने उक्त दोनों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उन्हें सूचना पत्र जारी किए थे।

राज्य सूचना आयोग के समक्ष रीता कैलाशिया ने अपने बचाव में बताया कि नीतिराज सिंह का आवेदन प्राप्त होते ही उन्होंने तत्काल सहायक लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को सम्बन्धित विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट हुआ कि महापौर कार्यालय के सचिव ने चाही गई जानकारियां सहायक लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को उपलब्ध करवा दी थी। श्री भट्ट की लापरवाही और त्रुटि के कारण सूचना आवेदक को प्रेषित नहीं की जा सकी।

राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन सम लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को भी नोटिस जारी कर उत्तर मांगा गया था। रवीन्द्र भट्ट द्वारा प्रस्तुत उत्तर का प्रश्नाधीन प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं था। श्री भट्ट ने किसी अन्य आवेदन के बारे में उत्तर प्रस्तुत किया। राज्य सूचना आयोग के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा चाही गई जानकारी समय पर श्री भट्ट को उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन उनकी लापरवाही और त्रुटि के चलते आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

राज्य सूचना आयोग के आयुक्त डॉ. जी कृष्णमूर्ति ने पूरे प्रकरण के अवलोकन के पश्चात दिए अपने निर्णय में कहा कि तत्कालीन सम लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट द्वारा समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और आवेदन का विधि अनुरूप निराकरण नहीं करने के कारण उन पर 250 रु. प्रतिदिन के मान से कुल अधिकतम राशि पच्चीस हजार रु. की शास्ति व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित की जाती है। श्री भट्ट को अर्थदण्ड की यह राशि आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में जमा कराई जाएगी। यदि नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराई जाती तो आयोग द्वारा सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम 2005 के नियम 8 (6) के तहत आगामी कार्यवाही की जाएगी। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जी कृष्णमूर्ति ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आमतौर पर लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि विलम्ब से जमा की जाती है। ऐसी स्थिति में निगम आयुक्त को आदेशित किया गया है कि यदि श्री भट्ट द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराई जाती, तो उनकी सेवा पुस्तिका में टीप अंकित की जाए और उनके वेतन भुगतान के समय पच्चीस हजार रुपए की राशि उनके वेतन से काटकर शासकीय कोषालय में जमा कराई जाए।

उल्लेखनीय है कि नीतिराज सिंह के ही दो अन्य सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदनों पर समयसीमा में सूचना नहीं दिए जाने पर पूर्व में भी दो निगम कर्मियों पर पच्चीस पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना किया गया था।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार पृष्ठ 02 दिनांक 27/02/2021

स्वच्छता हेतु वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त ने ली बैठक

इन्दौर समाचार 27/2/21

रतलाम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेकर स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त झारिया ने वार्ड वार नियुक्त 23 पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ-सफाई, विशेष रूप से सड़कों, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवाना, सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवाना, सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवाना, वार्डों में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना, कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करना, कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना, पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाना, वार्डों में आईईसी गतिविधियां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस ट्रेकिंग करवाना, थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना, नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करेंगे। स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का एक व्हाट्स एप ग्रुप तैयार करने के निर्देश बैठक में दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया वे अपने-अपने वार्डों में 6-6 वेस्ट पॉइंट चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवायेंगे। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि पर्यवेक्षण कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को वार्ड के दरोगा व सफाई संरक्षकों की नाम व मोबाईल नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराये जाने के साथ ही वार्ड की चर्तुसीमा भी उपलब्ध कराई जाये।

बैठक में सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, निगम सचिव जसवंत जोशी सहित उपयंत्री व नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करें

रतलाम। जिले की शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त बनाया जाना है। तम्बाकू नियंत्रण कानूनों की जानकारी देते हुए बताया गया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है। धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– नईदुनिया पृष्ठ 16 दिनांक 27/02/2021

खाली टंकी की पूजा कर जलप्रदाय की मांग

27-2-21

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। रतलाम विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक-दो योगी विहार कालोनी के रहवासियों ने नगर निगम से जलप्रदाय के लिए कालोनी में स्थित खाली पानी की टंकी की आरती व पूजन कर जलदेवता से प्रार्थना की।

रहवासियों का कहना है कि आरडीए की यह कालोनी पूरी तरह विकसित है। नगर निगम रोजाना पानी देने की बात कर रहा है, लेकिन शासन द्वारा काटी गई कालोनी में पानी नहीं दिया जा रहा है। आसपास की अधवैध या अवैध कालोनियों में जल प्रदाय किया जा रहा है। पूजन के दौरान पूर्व पार्षद आदिति दवेसर, कवीता नागर ने शामिल होकर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान कालोनी के चंद्रप्रकाश धूलधोये, तुलसीराम सिसौदिया, अमित परिया, देवेश जैन, एनके बोरिया, प्रेम नारायण पांचाल, अर्जुन योगी, दीपक चौरासी, नवीन पांचाल बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं।

स्वच्छता हेतु वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

स्वतंत्र रतलाम 27/2/21

रतलाम । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेकर स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिषा निर्देष दिये। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त 23 पर्यवेक्षकों को निर्देषित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ-सफाई, विषेश रूप से सड़को, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवाना, सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेष देने वाली वॉल पेंटिग करवाना, सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवाना, वार्डों में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना, कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करना, कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना, पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा टेऊचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाना, वार्डों में आईईसी गतिविधियां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस टेऊकिंग करवाना, थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना, नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के निर्देष दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करेंगे। स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का एक व्हाट्स एप ग्रुप तैयार करने के निर्देष बैठक में दिये। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया वे अपने-अपने वार्डों में 6-6 बेस्ट पाईंट चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवायेंगे। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि पर्यवेक्षण कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को वार्ड के दरोगा व सफाई संरक्षकों की नाम व मोबाईल नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराये जाने के साथ ही वार्ड की चर्तुसीमा भी उपलब्ध कराई जाये। बैठक में सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीं, श्री एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, निगम सचिव श्री जसवंत जोषी सहित उपयंत्री व नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर पृष्ठ 10 दिनांक 27/02/2021

बर्बादी : शास्त्रीनगर मेनरोड पर पाइप लाइन फूटी, आधे घंटे तक बहा पानी

रतलाम | शहर की पॉश कॉलोनी शास्त्रीनगर में शुक्रवार सुबह पाइप लाइन लीकेज हो गई। इससे आधे घंटे तक पानी बहता रहा और मैन रोड पर पानी भर गया। लोगों ने इसकी सूचना नगर निगम को दी। नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लाइन की मरम्मत शुरू की। शाम 4.30 बजे पाइप लाइन की मरम्मत हो पाई। शास्त्री नगर मैन रोड पर भरे पानी के बीच गुजरते लोग। फोटो पिंटू मेहता

भास्कर 27-2-21

सूचना के अधिकार कानून का पालन नहीं करने के मामले मे निगमकर्मी पर 25 हजार रु. का अर्थदंड

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

27/2/21

आमतौर पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सूचना के अधिकार कानून को महत्व नहीं देते और आए दिन इस कानून की धज्जियां उड़ाते रहते है, लेकिन राज्य सूचना आयोग ऐसे मामलों में अब कड़े कदम उठाने लगा है। पूर्व में दो निगमकर्मियों पर पच्चीस हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाने के बाद राज्य सूचना आयोग ने फिर से एक निगमकर्मी पर पच्चीस हजार रु. का अर्थदंड आरोपित किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट नीतिराज सिंह ने 4 मई 2019 को नगर निगम के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन देकर तत्कालीन महापौर सुनीता यार्दे के पदग्रहण और उनके द्वारा बनाई गई मेयर इन कौंसिल के सम्बन्ध में जानकारियां मांगी थी। नीतिराज सिंह ने अपने आवेदन में यह भी पूछा था कि इस मेयर इन कौंसिल के प्रथम गठन के बाद से शहर विकास के लिए कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए और उन पर क्या निर्णय किए गए?

राज्य सूचना आयोग के समक्ष सुश्री रीता कैलाशिया ने अपने बचाव में बताया कि नीतिराज सिंह का आवेदन प्राप्त होते ही उन्होंने तत्काल सहायक लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को सम्बन्धित विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट हुआ कि महापौर कार्यालय के सचिव ने चाही गई जानकारियां सहायक लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को उपलब्ध करवा दी थी। भट्ट की लापरवाही और त्रुटि के कारण सूचना आवेदक को प्रेषित नहीं की जा सकी।

राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन सम लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को भी नोटिस जारी कर उत्तर मांगा गया था। राज्य सूचना आयोग के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा चाही गई जानकारी समय पर भट्ट को उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन उनकी लापरवाही और त्रुटि के चलते आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

राज्य सूचना आयोग के आयुक्त डॉ. जी कृष्णमूर्ति ने पूरे प्रकरण के अवलोकन के पश्चात दिए अपने निर्णय में कहा कि तत्कालीन सम लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट द्वारा समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और आवेदन का विधि अनुरूप निराकरण नहीं करने के कारण उन पर 250 रुपए प्रतिदिन के मान से कुल अधिकतम राशि पच्चीस हजार रुपए की शास्ति व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित की जाती है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–इन्दौर समाचार पृष्ठ 07 दिनांक 27/02/2021

10 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 8 किलो पॉलीथीन जब्त

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। शासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ्रुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत मुस्तफा, आदित्य जैन, पवन पर 250-250, मनीश, शर्मा, गोपाल, संजय पर 100-100, रमेश, श्याम, आरिफ सैलाना बस स्टेण्ड पर 50-50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 8 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत.हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

इन्दौर समाचार 27-2-21

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। आयुक्त ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ्रुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते है तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर जुर्माने की कार्यवाही के तहत मुस्तफा, आदित्य जैन, पवन पर 250-250, मनीष, शर्माजी, गोपाल, संजय पर 100-100, रमेष, श्याम, आरिफ सैलाना बस स्टैण्ड पर 50-50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 8 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

10 व्यक्तियों पर स्पाट फाइन कर सात किलो पालीथिन जब्त

रतलाम। शासन के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माइक्रॉन से कम मोटाई की पालीथिन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। नगर निगम के स्पाट फाइन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को ललित नाहरपुरा, संजय माहेश्वरी धानमंडी पर 500-500, राहुल, गुड्डू भाई बाजना बस स्टैंड पर 250-250, तरुण, राहुल गांधी बाजना बस स्टैंड पर 150-150, हितेंद्र धानमंडी पर 100, श्यामाबाई, कान्हा भाई व एक अन्य बाजना बस स्टैंड पर 50-50 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में अमानक पालीथिन उपयोग नहीं करने की समझाइश देकर लगभग सात किलो पालीथिन जब्त की गई।

127 दिनों में ठीक किए 148 वाल्व व 870 पाइप लीकेज

रतलाम। शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पाइप लाइन व वाल्व लीकेज ठीक करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 127 दिनों में 148 वाल्व व 870 पाइप लाइन लीकेजों को ठीक किया जा चुका है। रतलाम जलशक्ति अभियान वाट्सएप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कर तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है। शुक्रवार को शक्ति नगर, कल्याण नगर, इंदिरा नगर डा. हर्ष दुबे के मकान के पास व टैंकर रोड बहुचर माता मंदिर के पास पाइप लाइन लीकेज ठीक किए गए। उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री सुहास पंडित, भैयालाल चौधरी के अलावा नीरज यादव, मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नई दुनिया 27-2-21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर –पृष्ठ 20 दिनांक 27/02/2021

मोबाइल टॉवर में आग लगी, फायर कर्मियों को करंट का झटका लगा

रतलाम | राजेंद्रनगर स्थित रिलायंस जियो के टॉवर में शुक्रवार सुबह 9 बजे आग लग गई। यह टॉवर गैस गोदाम के पास ही है। धुआं उठता देख लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर फायर लारी पहुंची। तो यहां टॉवर से धुआं निकल रहा था और बॉक्स का ताला लगा था। इस पर फायर लॉरी के साथ आए कर्मचारी करण सिंह और दयाराम ने लॉरी में रखे सरिये से ताला तोड़ने का प्रयास किया तो करंट का झटका लगा। इस पर बिजली कंपनी को सूचना दी वे पहुंचे और लाइट बंद की। इसके बाद सामने गैरेज से हथौड़ा लेकर आए और बॉक्स का ताला तोड़ आग बुझाई। चूंकि आग की लपटें 40 फीट ऊंचे टॉवर तक पहुंच गई थीं। फायर कर्मी शेखर चावरे और मोहसिन खान ने फायर लॉरी पर चढ़कर करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दै.भा.

जांच के लिए इंदौर से आएगी टीम 27-2-21

▪ आग किस कारण से लगी इसकी जांच के लिए इंदौर से टीम आएगी। हर टॉवर में कूलिंग सिस्टम लगा है। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। - दिनेश बघेल, मैनेजर (ऑपरेशन) जियो

मोबाइल टावर में आग लगी

निजी मोबाइल कंपनी के टावर में लगी आग से निकलता धुआं। ● नईदुनिया

रतलाम। हाट रोड स्थित निजी मोबाइल कंपनी के टावर में शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे अचानक आग गई। इससे अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। नगर निगम फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है।

नईदुनिया 27-2

टॉवर में लगी आग क्षेत्र में मची अफर तफरी

27-2-21 राज एक्सप्रेस

रतलाम। शहर के राजेंद्र नगर स्थित एक टावर के उपरी हिस्से में अचानक धुआं निकलने लगा और हवा के चलते फैले ईस धुएँ से लोग घबराने लगे कुछ देर बाद टावर के निचले हिस्से में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। टावर में आग लगने से क्षेत्र की जनता ने नगर निगम को सूचना दी। जिसके बाद दमकलकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टावर में आग कैसे लगी इसका पता नही चल पाया है।

सूचना के अधिकार कानून का पालन नहीं करने के मामले मे निगमकर्मी पर पच्चीस हजार रु. का अर्थदण्ड

रतलाम। आमतौर पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सूचना के अधिकार कानून को महत्व नहीं देते और आए दिन इस कानून की धज्जियां उडाते रहते है। लेकिन राज्य सूचना आयोग ऐसे मामलों में अब कडे कदम उठाने लगा है। पूर्व में दो निगमकर्मियों पर पच्चीस हजार रु. का अर्थदण्ड लगाने के बाद राज्य सूचना आयोग ने फिर से एक निगमकर्मी पर पच्चीस हजार रु. का अर्थदण्ड आरोपित किया है।

आरटीआई एक्टिविस्ट नीतिराज सिंह ने 04 मई 2019 को नगर निगम के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन देकर तत्कालीन महापौर सुनीता यार्दे के पदग्रहण और उनके द्वारा बनाई गई मेयर इन कौंसिल के सम्बन्ध में जानकारियां मांगी थी। नीतिराज सिंह ने अपने आवेदन में यह भी पूछा था कि इस मेयर इन कौंसिल के प्रथम गठन के बाद से शहर विकास के लिए कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए और उन पर क्या निर्णय किए गए?

उस समय रतलाम नगर निगम सहायक आयुक्त सुश्री रीता कैलाशिया लोक सूचना अधिकारी के रुप में कार्यरत थी और तत्कालीन सहायक वर्ग तीन रवीन्द्र भट्ट लोक सूचना विभाग में सहायक के रुप में कार्यरत थे। वर्तमान में सुश्री कैलाशिया नगर परिषद टीकमगढ में पदस्थ है,जबकि रवीन्द्र भट्ट राजस्व विभाग में पदस्थ है। राज्य सूचना आयोग ने उक्त दोनो को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उन्हे सूचना पत्र जारी किए थे।

राज्य सूचना आयोग के समक्ष सुश्री रीता कैलाशिया ने अपने बचाव में बताया कि नीतिराज सिंह का आवेदन प्राप्त होते ही उन्होने तत्काल सहायक लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को सम्बन्धित विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट हुआ कि महापौर कार्यालय के सचिव ने चाही गई जानकारियां सहायक लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को उपलब्ध करवा दी थी। श्री भट्ट की लापरवाही और त्रुटि के कारण सूचना आवेदक को प्रेषित नहीं की जा सकी। राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन सम लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट को भी नोटिस जारी कर उत्तर मांगा गया था। रवीन्द्र भट्ट द्वारा प्रस्तुत उत्तर का प्रश्नाधीन प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं था। श्री भट्ट ने किसी अन्य आवेदन के बारे में उत्तर प्रस्तुत किया। राज्य सूचना आयोग के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा चाही गई जानकारी समय पर श्री भट्ट को उपलब्ध करवा दी गई थी,लेकिन उनकी लापरवाही और त्रुटि के चलते आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

राज्य सूचना आयोग के आयुक्त डा. जी कृष्णमूर्ति ने पूरे प्रकरण के अवलोकन के पश्चात दिए अपने निर्णय में कहा कि तत्कालीन सम लोक सूचना अधिकारी रवीन्द्र भट्ट द्वारा समय पर जानकारी उपलब्ध नही कराने और आवेदन का विधि अनुरुप निराकरण नहींकरने के कारण उन पर 250 रु. प्रतिदिन के मान से कुल अधिकतम राशि पच्चीस हजार रु. की शास्ति व्यक्तिगत रुप से अधिरोपित की जाती है। श्री भट्ट को अर्थदण्ड की यह राशि आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में जमा कराई जाएगी। यदि नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराई जाती तो आयोग द्वारा सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम 2005 के नियम 8 (6) के तहत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

राज्य सूचना आयुक्त डा. जी कृष्णमूर्ति ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आमतौर पर लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि विलम्ब से जमा की जाती है। ऐसी स्थिति में निगम आयुक्त को आदेशित किया गया है कि यदि श्री भट्ट द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराई जाती,तो उनकी सेवा पुस्तिका में टीप अंकित की जाए और उनके वेतन भुगतान के समय पच्चीस हजार रु. की राशि उनके वेतन से काटकर शासकीय कोषालय में जमा कराई जाए। उल्लेखनीय है कि नीतिराज सिंह के ही दो अन्य सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदनों पर समयसीमा में सूचना नहीं दिए जाने पर पूर्व में भी दो निगम कर्मियों पर पच्चीस पच्चीस हजार रु.का जुर्माना किया गया था।

इन्दौर समाचार 27/2/21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–टोप एक्सप्रेस–पृष्ठ 06 दिनांक 27/02/2021

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली निर्माण कर विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित कराई गई

रतलाम । मन, वाणी, कर्म, शरीर, हृदय, चित्त, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और विज्ञान तक में स्वच्छता का विशेष महत्व है। या कहें, बिना स्वच्छता के जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति, शहर और चेतना के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता प्रथम सोपान है। स्वच्छता विकास का बड़ा पैमाना है। इस कार्य में जब तक शहर के हर हाथ से सहयोग नही मिलेगा तब तक हम हमारे शहर को स्वच्छता की दौड़ में देश में अव्वल नही ला पाएगे। इसलिए स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में हर कोई बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी निभाए। 27-2-21

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी.सिंह के निर्देशन में सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने गुरुवार को शहर के आधा दर्जन से अधिक कचरामुक्त स्थानों रांगोली का निर्माण कर क्षेत्रीय रहवासियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया है।

इस मौके पर समूह के सदस्यों ने नागरिकों को समझाया कि विकास का मतलब अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा वाहन और अच्छा घर ही माना जाता है। विकास का मतलब स्वच्छता, कर्तव्यों का पालन और सहयोग की भावना नहीं स्वीकार किया गया। अच्छी सडकें तो सभी चाहते हैं लेकिन उसकी साफ-सफाई का दायित्व कभी स्वयं पर नहीं डालना चाहते। सडकों पर गंदगी करना जैसे हमारा पुनीत कर्तव्य बन गया है। इसी तरह छोटे मार्गों, गलियों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य उपयोगी स्थानों को हम गंदा करके उसे साफ करना नहीं सीखा। यही कारण है कि शहरों में नई-नई बीमारियां रोजाना पैदा हो रही हैं। टोप एक्सप्रेस

तीन दिन में भी कचरा नहीं उठा, मामला वार्ड नंबर एक में गंदगी का

रतलाम. नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने तीन दिन पूर्व शहर के विभिन्न वार्डों में निरीक्षण करके गंदगी को तुरंत साफ करने को कहा था। इसके लिए सफाई दरोगा से लेकर स्वच्छता निरीक्षक तक को फटकार लगाई थी। शहर के गांधीनगर में जहां पर यह सब जिस कचरा को देखकर निगम आयुक्त झारिया नाराज हुए थे वहा पर तीन दिन बाद भी कचरा उसी हालात में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं शहर के वार्ड क्रमांक 20 में पिछले तीन दिन से कचरा संग्रहण वाहन के नहीं जाने से रहवासियों में नाराजी बढ़ रही है। पत्रिका 27-2-21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार प्रसारण ---पृष्ठ 11 दिनांक 27/02/2021

रतलाम में तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ हुआ

प्रसारण 27-2-21

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

प्रदेश के साथ रतलाम मुख्यालय पर भी शुक्रवार को तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ किया गया। रतलाम में सिविक सेंटर, अंबेडकर भवन तथा त्रिपोलिया गेट पर दीनदयाल रसोई आरंभ की गई है, जहां निर्धन व्यक्तियों को 10 रुपए में भरपेट भोजन थाली की सुविधा मिलेगी। सिविक सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, मनोहर पोरवाल, निर्मल कटारिया, श्रीमती ज्योति सुनारिया, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास, जी.के. जयसवाल, श्याम सोनी, राजेश परमार, नितिन तिवारी, ए.पी. सिंह, कपिल मारोठिया आदि उपस्थित थे।

कार्यक्रम पश्चात दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ करते हुए निर्धन व्यक्तियों को भोजन परोसा गया। वर्तमान में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राष्ट्रीय अवकाश, होली तथा रविवार छोड़कर प्रतिदिन 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कढ़ी मिलेगी।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को लाइव देखा व सुना गया

मुख्यमंत्री को धन्यवाद, हमें अब भोजन की चिन्ता नहीं होगी

रतलाम। शुक्रवार को रतलाम में सिविक सेंटर पर अब दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ हुआ, तो शहर के कई निर्धन व्यक्ति भोजन में सम्मिलित हुए और भरपेट भोजन किया। इनमें अधिकांश मजदूर पेशा व्यक्ति थे, जिनको भोजन के लिए परेशान होना पड़ता था, परंतु अब उनकी परेशानी दूर हो गई है।

सिविक सेंटर पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई में भोजन करने आए रतलाम के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बंटी तथा राजेश भी सम्मिलित थे। यह दोनों मजदूरी करते हैं, कभी मजदूरी मिल गई तो ठीक नहीं मिल, तो दो समय के भोजन की चिंता रहती है, परंतु दीनदयाल रसोई के शुभारंभ से बंटी तथा राजेश बहुत खुश थे। उन दोनों ने भोजन किया और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को धन्यवाद दिया। बंटी और राजेश के साथ और भी कई निर्धन व्यक्तियों ने भोजन लाभ प्राप्त किया। यह सभी तहेदिल से मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद दे रहे थे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नवभारत–पृष्ठ 13 दिनांक 27/02/2021

रतलाम में तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ

नवभारत 27-2-21

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन को लाइव देखा व सुना गया

रतलाम। प्रदेश के साथ रतलाम मुख्यालय पर भी शुक्रवार को तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ किया गया। रतलाम में सिविक सेंटर, अंबेडकर भवन तथा त्रिपोलिया गेट पर दीनदयाल रसोई आरंभ की गई है जहां निर्धन व्यक्तियों को 10 रुपए में भरपेट भोजन थाली की सुविधा मिलेगी।

रतलाम में सिविक सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, मनोहर पोरवाल, निर्मल कटारिया, ज्योति सुनारिया, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया,

कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास, जी.के. जयसवाल, श्याम सोनी, राजेश परमार, नितिन तिवारी, ए.पी. सिंह, कपिल मारोठिया आदि उपस्थित थे।

कार्यक्रम पश्चात दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ करते हुए निर्धन व्यक्तियों को भोजन परोसा गया। वर्तमान में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राष्ट्रीय अवकाश, होली तथा रविवार छोड़कर प्रतिदिन 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कढ़ी मिलेगी।

तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ

रविवार छोड़कर रोजाना मिलेगा 10 रुपए में भोजन

रतलाम ● स्वदेश समाचार

प्रदेश के साथ रतलाम मुख्यालय पर भी शुक्रवार को तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ किया गया। रतलाम में सिविक सेंटर, अंबेडकर भवन तथा त्रिपोलिया गेट पर दीनदयाल रसोई आरंभ की गई है जहां निर्धन व्यक्तियों को 10 रुपए में भरपेट भोजन थाली की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम पश्चात दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ करते हुए निर्धन व्यक्तियों को भोजन परोसा गया। वर्तमान में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राष्ट्रीय अवकाश, होली तथा रविवार छोड़कर प्रतिदिन 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कढ़ी मिलेगी।

स्वदेश 27/2/21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. अवन्तिका पृष्ठ 03 दिनांक 27/02/2021

स्वच्छता हेतु वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों की आयुक्त ने ली बैठक

दैनिक अवंतिका ● रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर की स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेकर स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त झारिया ने वार्ड वार नियुक्त 23 पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ-सफाई, विशेष रूप से सड़को, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवाना, सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवाना, सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवाना, वार्डों में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना, कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करना, कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना, पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाना, वार्डों में आईईसी

गतिविधियां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस टेऊकिंग करवाना, थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना, नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करेंगे। स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का एक क्वाट्स एप ग्रुप तैयार करने के निर्देश बैठक में दिये।आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया वे अपने-अपने वार्डों में 6-6 बेस्ट पाईंट चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवायेंगे। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि पर्यवेक्षण कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को वार्ड के दरोगा व सफाई संरक्षकों की नाम व मोबाईल नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराये जाने के साथ ही वार्ड की चतुर्सीमा भी उपलब्ध कराई जाये।

बैठक में सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, निगम सचिव जसवंत जोशी सहित उपयंत्री व नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

दै. अवन्तिका 27-2-21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार पत्रिका ---पृष्ठ 15 दिनांक 27/02/2021

पानी के लिए गांधीगिरी...

पत्रिका 27-2-21

पानी का इंतजार, खाली टंकी की उतारी आरती

पत्रिका सिटी हैपनिंग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. अब तक कई काम के लिए गांधीगिरी करते आमजन को सुना होगा, लेकिन शहर के योगी विहार के रहवासियों ने पेयजल की मांग करते हुए खाली टंकी की आरती उतारी, ढोल बजवाए, प्रसाद का वितरण किया व निगम को सदबुद्धि आए व पेयजल वितरण शुरू करें, इसके लिए प्रार्थना की।

रतलाम विकास प्राधिकरण योजना क्रमांक 2 योगी विहार कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनी में कॉलोनी में स्थित खाली पानी की टंकी का आरती व पूजन किया व जल देवता से प्रार्थना की गई की उन्हें नगर निगम से जल प्रदाय मिल सके। असल में इस कॉलोनी में रहने वालों का कहना है कि उनका विकास से जुड़ा कोई शुल्क नगर निगम में शेष नहीं है, इसके बाद भी निगम पेयजल वितरण नहीं कर रहा है।

इसलिए की गांधीगिरी

क्षेत्र के रहवासियों के अनुसार अब तक हर तरह से नगर निगम से पेयजल की मांग कर ली, लेकिन अब एकमात्र रास्ता गांधीगिरी का है। जब निगम के जवाबदेह के पास जाते हैं तो जवाब मिलता है कि योगी विाहर में भी पेयजल देंगे, लेकिन फिलहाल यह प्राथमिकता में नहीं है। पूजन में आदिति दवेसर, बबीता नगर ने सम्मिलित होकर पानी नहीं मिलने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कॉलोनी के तुलसीराम सिसौदिया, अमित परिया, देवेश जैन, एनके बोरिया, प्रेमनारायण पांचाल, अर्जुन योगी, दीपक बोरासी, नवीन पांचाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी।

हमारी कॉलोनी में पेयजल टंकी से लेकर पाइप लाइन तक है, लेकिन नगर निगम कहता है कि हमारी कॉलोनी उनकी प्राथमिकता में नहीं है। अब नगर निगम ही बता दे कि हम क्या करें तो हमारी कॉलोनी प्राथमिकता में आ जाए।

- चंद्रप्रकाश धूलधोये, रहवासी योगी विहार कॉलोनी

इस समय शहर में जहां पहले से नियमित पेयजल वितरण हो रहा है, वहां पर नियमित पेयजल देने की योजना पर काम चल रहा है। इसलिए योगी विहार कॉलोनी के बारे में फिलहाल समीक्षा नहीं की गई है जल्दी ही वहां की जरुरत अनुसार समीक्षा की जाएगी।

-एसपी आचार्य, पेयजल प्रभारी, नगर निगम

10 साल से खाली है पानी की टंकी, कॉलोनीवासियों ने टंकी की आरती कर जताया विरोध

रतलाम | गर्मी की शुरुआत के साथ ही आरडीए (रतलाम विकास प्राधिकरण) की योजना क्रमांक 2 योगी विहार में पानी का संकट गहराने लगा है। यहां 10 साल से पानी की टंकी है तो लेकिन उसमें पानी नहीं है। अफसरों को जगाने के लिए रहवासियों ने अनूठे ढंग से विरोध किया। यहां रहने वाले लोगों ने खाली टंकी का पूजन कर आरती उतारी। नगर निगम रोजाना पानी देने की बात कह रहा है लेकिन हमारे यहां तो पानी की टंकी ही सालों से खाली है। रहवासियों ने जल्द पानी मुहैया कराने की बात कही नहीं तो आगे आंदोलन की चेतावनी दी है।

हमारी कॉलोनी में क्यों नहीं - बबीता नागर चंद्रप्रकाश धूलधोए, तुलसीराम सिसौदिया ने कहा कि नगर निगम रोजाना पानी देने की बात कर रहा है। हमारी कॉलोनी भी शहर का ही हिस्सा है। फिर इस कॉलोनी में पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है।

हैंडओवर का हवाला देता है - नगर निगम के जलप्रदाय विभाग के ईई एसपी आचार्य ने बताया हमने आरडीए के अधिकारियों को पत्र जारी किया लेकिन वे एक ही बात का हवाला देते हैं कि आपको कॉलोनी हैंडओवर हो गई।

पांच साल पहले हैंडओवर हुई

- पानी की टंकी बनी थी- 2011 में
- लागत- 6 लाख रुपए
- कॉलोनी में लोग रहते हैं- 200
- नगर निगम को हैंडओवर हुई- 2016 में

तत्कालीन कलेक्टर ने दिए थे एस्टीमेट बनाने के आदेश - तत्कालीन कलेक्टर रुचिका चौहान के दौरान भी नगर निगम को एस्टीमेट बनाकर देने को कहा था ताकि काम के एवज में भुगतान किया जा सके लेकिन नगर निगम ने आज तक ना एस्टीमेट बनाकर दिया ना ही काम किया। जबकि कॉलोनी की पाइप लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ना है। इससे ही पानी की समस्या दूर हो सकती है।

दैनिक भास्कर 27-2-21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार राजएक्सप्रेस -पृष्ठ 01 दिनांक 27/2/ 2021

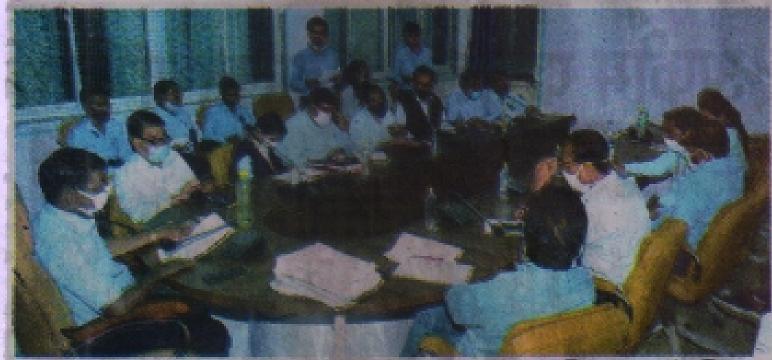

नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना आवश्यक : नगर निगम आयुक्त

स्वच्छता हेतु वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त ने ली बैठक

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क 27/2/21

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेकर स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त ने वार्ड वार नियुक्त 23 पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ-सफाई, विशेष रूप से सड़को, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवाना, सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवाना, सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवाना, वार्डों में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना, कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करना, कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना, पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा टेंचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाना, वार्डों में आईईसी गतिविधियां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस ट्रेकिंग करवाना, थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना, नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त ने निर्देशित किया वे अपने-अपने वार्डों में 6-6 बेस्ट पॉइंट चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवायेंगे। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि पर्यवेक्षण कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को वार्ड के दरोगा व सफाई संरक्षकों की नाम व मोबाईल नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराये जाने के साथ ही वार्ड की चतुर्सीमा भी उपलब्ध कराई जाये।

राजएक्सप्रेस